50

कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

क्रमांक अनु.प्रा./आर.ए./भोपाल/2017 भोपाल, दिनांक

आदेश
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली,1945 के नियम 66(1) के अंतर्गत)

मेसर्स कुमार मेडिकल स्टोर, 65, शॉप नं 10, अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) को औषधि अनुज्ञप्ति क्रमांक 20/77 एवं 21/78 प्रपत्र क्रमांक 20 एवं 21 में स्वीकृत है। जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत है।

दिनांक 22.03.2017 को औषधि निरीक्षक, भोपाल श्री कन्हैयालाल अग्रवाल द्वारा आपकी दुकान का निरीक्षण किया गया था जिसमें निम्न अनियमितायें पाई गई थी।

1. निरीक्षण के दौरान प्रोपरायटर श्रीमति शशी गुप्ता एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्री जगदीश गुप्ता दुकान में अनुपस्थित पाये गये थे। श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश गुप्ता की उपस्थित में निरीक्षण किया गया।
2. निरीक्षण के दौरान दुकान में अनुज्ञप्ति प्रोमीनेंट प्लेस पर प्रदर्शित नहीं पाई गई थी।
3. निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पुस्तिका फार्म 35 उपलब्ध नहीं पाई गई थी।
4. निरीक्षण के दौरान आपको निम्न औषधियों के क्रय एवं विक्रय रिकार्ड चाहे गये थे :-

S.No.	Name of Drug	B.No.	Stock
1.	Alprax 0.5	2E109C01	15 tablets
2.	Alp 0.5	02A25	20 tablets
3.	Omacortil Solution 5 mg/5ml	DD/313	1 bottle
4.	LAM 0.25	ART 2074	20 tablets

उक्त अनियमितताओं के लिये कार्यालयीन पत्र क्रमांक एलए/भोपाल/2016/28 भोपाल दिनांक 25.04.2017 के माध्यम से आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया था। इस हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक एलए/भोपाल/2016/50 भोपाल दिनांक 11.05.2017 के द्वारा औषधि अनुज्ञप्ति क्रमांक 20/77 एवं 21/78 प्रपत्र क्रमांक 20 एवं 21 को 15 दिवस के लिये निलंबित किया गया था।

नियंत्रक महोदया, खाद्य एव औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, उप औषधि नियंत्रक, खाद्य एव औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल द्वारा दूरभाष पर प्राप्त मौखिक निर्देशों के परिपालन में आपकी दुकान का निरीक्षण दिनांक 27.08.2017 को औषधि निरीक्षक दल श्रीमति तबस्सुम मेरोठा, श्री किरण कुमार मगरे तथा श्रीमति वंदना कोष्टी के द्वारा किया गया था जिसमें निम्न अनियमतितायें पाई गई थी :-

1. निरीक्षण के दौरान दुकान में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की गई तथा अनुज्ञप्ति प्रोमीनेंट प्लेस पर प्रदर्शित भी नहीं पाई गई जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के अंतर्गत प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियों की शर्त क्रमांक 1 का स्पष्ट उल्लंघन है।
2. निरीक्षण के दौरान दुकान में गंदगी एवं धूल पाई गई ज जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के अंतर्गत प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियों की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है।
3. निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मौके पर क्रय एवं विक्रय रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये गये जो कि जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के नियम 65 (3), 65 (4) एवं 65(6) का स्पष्ट उल्लंघन है।

DRUG LICENCING AUTHORITY
सत्यमेव जयते
DISTT. BHOPAL

S.No.	Name of Drug	B.No.	Stock found
1	Spasmoproxyvon Plus Capsules	JS10563	1 x 90 capsules
2	Spasmoproxyvon Plus Capsules	JS10426	1 x 72 capsules
3	Nitravet Tablets	03709P	1 x 45 capsules
4	Instakit	A 7LTMS026 B LMF7-036 MLS7-036	10 packing of 1 kit each
5	Onerex Syrup	OES1126	1 x 21 x 100 ml
6	Codistar Syrup	A8ALQ156	1 x 6 x 100 ml
7	Wiscof Syrup	WWI17002	1x 4 x 100 ml

निरंतर पेज 2....................

8	Dialux-DC	DX7055	1x 10 x100 ml
9	Gudcef Drops	BO4KQ002	1 x10 ml
10	Minolast- LC tablets	A6F414	1 x 10 tabs x 5
11	Cepodem Suspension	NB50036	1 x 30ml x1
12	Alprax 0.5 tablets	2E09D007	1 x 85 tabs.
13	NIT Ease 10	LCGL077	1 x 10 tabs.
14	Pluwel tablets	SBT-1704094	1 x 10 tabs.

4. निरीक्षण के दौरान दुकान में अवसान तिथि बीत चुकी औषधियों के पृथक संग्रहण के लिये कोई व्यवस्था नहीं पाई गई तथा अवसान तिथि बीत चुकी औषधि BIMAT LSTM Eye Drops, D/M-08/2015, D/E-07/2017 दुकान में ट्रेड स्टॉक के साथ पाई गई। जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के नियम 65(17) का स्पष्ट उल्लंघन है।

5. निरीक्षण के दौरान केश मेमो नं 33359–60, 33316, 33597 से 33599, 33369, 33375 से 33376, 33381 से 33384, 333403, 33474, 33521, 33522, 333543 एवं 33596 निरंक पाये गये तथा अंतिम केश मेमो नं 33596 जारी होना पाया गया। जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की नियमावली, 1945 के नियम 65(3) का स्पष्ट उल्लंघन है।

DRUG LICENCING AUTHORITY DISTT. BHOPAL सत्यमेव जयते

आपके द्वारा उक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक भोपाल/2017/77 भोपाल दिनांक 28.08.2017 के माध्यम से आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना स्पष्टीकरण एवं व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया था।

उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में आपके द्वारा केवल क्रय रिकार्ड ही प्रस्तुत किया गया एवं अन्य अनियमतताओं पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब अपूर्ण है एवं संतोषप्रद नहीं है एवं न ही आपकी ओर से व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। एवं पूर्व में किये गये निरीक्षण दिनांक 22.03.2017 में भी इसी प्रकार की अनियमिततायें पाई गई थी जिससे यह स्पष्ट है कि आप इस प्रकार की अनियमतताओं करने के अद्यतन आदी है।

इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियों की शर्त क्रमांक 1 का एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 65 (3), 65(4), 65(6), 65 (17) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया जाता है।

अस्तु मैं औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला भोपाल (म.प्र.) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 66 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस प्रशासन द्वारा मेसर्स कुमार मेडिकल स्टोर, 65, शॉप नं 10, अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) को स्वीकृत की गई समस्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियाँ क्रमांक 20/77 एवं 21/78 प्रपत्र 20 एवं 21 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

प्रति

मेसर्स कुमार मेडिकल स्टोर,
65, शॉप नं 10, अरेरा कालोनी,
जिला भोपाल (म.प्र.) की ओर पालनार्थ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
जिला भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक अनु.प्रा./आर.ए./भोपाल/2017 180 — भोपाल, दिनांक 1/9/17

प्रतिलिपिः–

1. नियंत्रक महोदया, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. ~~जिलाध्यक्ष महोदय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।~~
3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, 10 नंबर मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. उप औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के आदेश के परिपालन में सूचनार्थ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. थाना प्रभारी, थाना हबीबगंज, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. औषधि निरीक्षक, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
जिला भोपाल (म.प्र.)